



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र - (उ०प्र०)



05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 1066 /रेनुकूट /15-37 दिनांक, रेनुकूट, सितम्बर, 26, 2022
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 3.79 हे. आरक्षित वन भूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि० तथा वर्तमान में मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग करने हेतु 25 वर्षों (दिनांक-01.04.2013 से 31.03.2038 तक) की लीज नवीनीकरण के संबंध में । ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या- **FP/UP/Others/19811/2016**

संदर्भ:- 1-सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्रांक- पी०-290/81-2-2022-800(67)/2012 लखनऊ दिनांक- 06.09.2022
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक- 904/11-सी- FP/UP/Others/19811/2016 लखनऊ दिनांक- 08.09.2022
3-इस कार्यालय का पत्रांक- 952/रेनुकूट/15-37 दिनांक- 15.09.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० शासन के संदर्भित पत्र दिनांक- 06.09.2022 में अंकित बिन्दुओं से संबंधित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है, किन्तु उसमें कुछ तथ्यों का समावेश किया जाना अवशेष रहा था जिसे निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्रांक- पी०-290/81-2-2022-800(67)/2012 लखनऊ दिनांक- 06.09.2022 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	दिनांक 09.05.2012 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के विचाराधीन रहते हुए ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/19811/2016 मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव क्यों उपलब्ध कराया गया? स्थिति स्पष्ट किया जाय ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, प्रश्नगत प्रस्ताव के शासन में विचाराधीन रहते हुए मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि. का पंजीकृत कार्यालय रेहला जिला-पलामू (झारखण्ड) होने के कारण कम्पनी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा-391 से 394 के अन्तर्गत, माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची के समक्ष कम्पनी पेटिशन संख्या- 5/2015 व 6/2015 तथा मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० का पंजीकृत कार्यालय नागदा, (मध्य प्रदेश) होने के कारण कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० (इन्दौर बेंच) के समक्ष कम्पनी पेटिशन संख्या- 13/2015 (Amalgamation of M/s

वन
रेव

	<p>Aditya Birla Chemicals(India) Limited with M/s Grasim Industries Limited) दाखिल किया गया । माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची द्वारा दिनांक- 24 नवम्बर 2015 को तथा माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० (इन्दौर) द्वारा दिनांक- 09.10.2015 को Amalgamation संबंधी आदेश पारित किया गया । उक्त रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि., मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. में समाहित हो गयी । तत्पश्चात मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट द्वारा उसी प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा विकसित परिवेश पोर्टल पर ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/19811/2016 अपलोड किया गया जिसे परीक्षणोपरान्त सही पाये जाने पर मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के माध्यम से उ०प्र० शासन की सेवा में प्रेषित की गयी है जो वर्तमान मे उ०प्र० शासन स्तर पर विचाराधीन है ।</p>																				
<p>2 प्रस्तावित वन भूमि मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट, मे० आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि० तथा वर्तमान में मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट को कितनी अवधि के लिये दिया गया था? अलग-अलग समयावधि अंकित किया जाय ।</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट, मे० आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि० तथा मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट को लीज पर दिये जाने संबंधी विवरण निम्नानुसार है :-</p> <table border="1" data-bbox="790 817 1516 1848"> <thead> <tr> <th>क्र० सं०</th> <th>संस्थान का नाम जिनको लीज पर दी गयी या दिया जाना है</th> <th>लीज अवधि का विवरण</th> <th>लीज संबंधी आदेश का विवरण /अभ्युक्ति</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०</td> <td>01.04.1963 से 31.03.1988 तक (25 वर्ष)</td> <td>उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- 1252/14-बी-503 /61 दिनांक- 25.04.1964 द्वारा लीज स्वीकृत किया गया ।</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>01.04.1988 से 31.03.2013 तक (25 वर्ष)</td> <td>(1) भारत सरकार के पत्र संख्या- 08बी/09/324/92 /एफ०सी०-सी०-40 7 दिनांक- 23.05.1995 व (2) उ०प्र० शासन के आदेश संख्या- जी०आई०-159/14 -2-95-503/1961 दिनांक- 16 जनवरी 1996 द्वारा नवीनीकरण आदेश जारी किया गया ।</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>मे० आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि० एवं मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट</td> <td>द्वारा उपरोक्तानुसार लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है किन्तु</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र० सं०	संस्थान का नाम जिनको लीज पर दी गयी या दिया जाना है	लीज अवधि का विवरण	लीज संबंधी आदेश का विवरण /अभ्युक्ति	1	2	3	4	1	मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	01.04.1963 से 31.03.1988 तक (25 वर्ष)	उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- 1252/14-बी-503 /61 दिनांक- 25.04.1964 द्वारा लीज स्वीकृत किया गया ।			01.04.1988 से 31.03.2013 तक (25 वर्ष)	(1) भारत सरकार के पत्र संख्या- 08बी/09/324/92 /एफ०सी०-सी०-40 7 दिनांक- 23.05.1995 व (2) उ०प्र० शासन के आदेश संख्या- जी०आई०-159/14 -2-95-503/1961 दिनांक- 16 जनवरी 1996 द्वारा नवीनीकरण आदेश जारी किया गया ।	2	मे० आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि० एवं मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट	द्वारा उपरोक्तानुसार लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है किन्तु	
क्र० सं०	संस्थान का नाम जिनको लीज पर दी गयी या दिया जाना है	लीज अवधि का विवरण	लीज संबंधी आदेश का विवरण /अभ्युक्ति																		
1	2	3	4																		
1	मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०	01.04.1963 से 31.03.1988 तक (25 वर्ष)	उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- 1252/14-बी-503 /61 दिनांक- 25.04.1964 द्वारा लीज स्वीकृत किया गया ।																		
		01.04.1988 से 31.03.2013 तक (25 वर्ष)	(1) भारत सरकार के पत्र संख्या- 08बी/09/324/92 /एफ०सी०-सी०-40 7 दिनांक- 23.05.1995 व (2) उ०प्र० शासन के आदेश संख्या- जी०आई०-159/14 -2-95-503/1961 दिनांक- 16 जनवरी 1996 द्वारा नवीनीकरण आदेश जारी किया गया ।																		
2	मे० आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि० एवं मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट	द्वारा उपरोक्तानुसार लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है किन्तु																			

	<p>3 क्या प्रकरण में हुए उल्लंघन के फलस्वरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 29.01.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है? मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर के पत्र दिनांक 20.07.2022 के बिन्दु-4 में अंकित है कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 29.01.2018 का बिन्दु-बी का प्राविधान आकर्षित नहीं होता है। क्यों?</p>	<p>उसके प्रस्ताव पर अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।</p> <p>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक- 29.01.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक- 29.01.2018 के पैरा-B एवं C में अंकित विवरण एवं उसका हिन्दी रूपान्तरण निम्नानुसार है :-</p> <table border="1" data-bbox="751 376 1444 936"> <tr> <td data-bbox="751 376 826 645">(B)</td> <td data-bbox="826 376 1082 645">In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC</td> <td data-bbox="1082 376 1444 645">उन मामलों में जहाँ एफसी अधिनियम के तहत प्रस्ताव विचाराधीन है और वन भूमि को एफसी के अनुदान से पहले बदल दिया गया है</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 645 826 936">(C)</td> <td data-bbox="826 645 1082 936">Violation/non-compliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act .</td> <td data-bbox="1082 645 1444 936">एफसी अधिनियम के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन/गैर अनुपालन</td> </tr> </table> <p>2- यहाँ यह उल्लेख करना है कि प्रश्नगत प्रकरण से आच्छादित 3.79 हे० वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के पूर्व उ०प्र० शासन के पत्र संख्या- 1252/14-बी-503/61 दिनांक- 25.04.1964 द्वारा मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० को लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी।</p> <p>3- उक्त हस्तान्तरित लीज की अवधि समाप्त होने के उपरान्त आगे की अवधि हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या- 08बी/09/324/92/एफ०सी०-सी०-407 दिनांक- 23.05.1995 द्वारा 5(पाँच) शर्तों के अधीन तथा उ०प्र० शासन के आदेश संख्या- जी०आई०-159/14-2-95-503/1961 दिनांक- 16 जनवरी 1996 द्वारा 9(नौ) शर्तों के अधीन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के उपरान्त नवीनीकरण आदेश जारी किया गया।</p> <p>4- उ०प्र० शासन के आदेश दिनांक- 16.01.1996 में अधिरोपित शर्त संख्या-1 का आंशिक उल्लंघन किया गया है जिस हेतु भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक- 29.01.2018 के बिन्दु संख्या- सी के अनुपालन में एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि का दोगुने धनराशि जमा कराये जाने हेतु वांछित आंकलन प्रमाण पत्र एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।</p>	(B)	In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC	उन मामलों में जहाँ एफसी अधिनियम के तहत प्रस्ताव विचाराधीन है और वन भूमि को एफसी के अनुदान से पहले बदल दिया गया है	(C)	Violation/non-compliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act .	एफसी अधिनियम के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन/गैर अनुपालन
(B)	In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC	उन मामलों में जहाँ एफसी अधिनियम के तहत प्रस्ताव विचाराधीन है और वन भूमि को एफसी के अनुदान से पहले बदल दिया गया है						
(C)	Violation/non-compliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act .	एफसी अधिनियम के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन/गैर अनुपालन						
4	<p>प्रयोक्ता एजेंसी निजी संस्था होने के बावजूद भी पत्र दिनांक 29.07.2022 के बिन्दु-9 में प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों की अनुरक्षण व्यवस्था अंकित की गयी है। क्यों?</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत लीज की स्वीकृति उ०प्र० शासन के पत्र सं० 1252/14-बी-503/61 दिनांक- 25.04.1964 द्वारा प्रदान की गयी थी जिसमें समतुल्य गैर वन भूमि की शर्त को अधिरोपित नहीं किया गया था। उक्त लीज के नवीनीकरण किये जाने के संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या- 08बी/09/324/92/एफ०सी०-सी०-407</p>						

		<p>दिनांक- 23.05.1995 व इसके क्रम में उ०प्र० शासन के आदेश संख्या- जी०आई०-159/14-2-95-503/1961 दिनांक- 16 जनवरी 1996 द्वारा नवीनीकरण आदेश जारी किया गया। जारी नवीनीकरण आदेश में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण से समतुल्य गैर वन भूमि प्राप्त करते हुए उसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति आदेश जारी कराया जा चुका है। यहाँ यह उल्लेख करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के अन्य नवीनीकरण के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के दृष्टिगत ही इस प्रकरण में पुनः समतुल्य गैर वन भूमि की माँग न करते हुए प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण एवं 10 वर्षों की अनुरक्षण व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।</p>																								
5	<p>प्रस्तावानुसार वर्तमान में मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु दिया जाना है, किन्तु प्रकरण के विषय में मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट को दिये जाने का उल्लेख है?</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण से आच्छादित 3.79 हे० वन भूमि वर्ष 1964 में मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट को लीज पर दी गयी थी जिसका उपयोग मे० आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि० एवं वर्तमान में मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट द्वारा किया जा रहा है। उक्त कारणों से ही मे० कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट का नाम का उल्लेख। प्रकरण में विस्तृत विवरण उक्त बिन्दुओं में उल्लिखित किया गया है।</p>																								
6	<p>क्या उक्त प्रस्ताव का परीक्षण भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन दिशा-निर्देशों दिनांक 28.06.2022 के आलोक में परीक्षण किया गया है?</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रस्ताव का भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन दिशा-निर्देश दिनांक- 28.06.2022 के आलोक में परीक्षण किया गया है।</p>																								
7	<p>दिनांक 03.02.2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु-3 के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है, कारण स्पष्ट किया जाये।</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2021 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु-3 के अनुसार ही प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।</p>																								
8	<p>शासनादेश दिनांक 16.01.1996 के शर्त संख्या-9 का अनुपालन एवं पट्टा विलेख निष्पादन की प्रति उपलब्ध करायी जाये।</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में निम्न प्रकार अवगत कराना है :- 1- शासनादेश दिनांक- 16.01.1996 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण से प्रीमियम तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट निम्नानुसार जमा कराया गया है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>प्रीमियम एवं लीज रेंट की निर्धारित धनराशि</th> <th>जमा का विवरण</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रीमियम</td> <td>168462.00 (प्रीमियम)</td> <td>चालान संख्या-टी० 3 दि० 29.11.1996</td> </tr> <tr> <td>1996-97</td> <td>16847.00(लीज रेंट)</td> <td>चालान संख्या-टी० 1 दि० 15.05.1997</td> </tr> <tr> <td>1997-98</td> <td>16847.00(लीज रेंट)</td> <td>चालान संख्या-टी० 3 दि० 15.07.1997</td> </tr> <tr> <td>1998-99</td> <td>16847.00(लीज रेंट)</td> <td>चालान संख्या- टी० 6 दि० 29.05.1998</td> </tr> <tr> <td>1999-00</td> <td>16847.00(लीज रेंट)</td> <td>चालान संख्या- टी० 3 दि० 14.08.1999</td> </tr> <tr> <td>2000-01</td> <td>16847.00(लीज रेंट)</td> <td>चालान संख्या- टी० 4</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	प्रीमियम एवं लीज रेंट की निर्धारित धनराशि	जमा का विवरण	1	2	3	प्रीमियम	168462.00 (प्रीमियम)	चालान संख्या-टी० 3 दि० 29.11.1996	1996-97	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या-टी० 1 दि० 15.05.1997	1997-98	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या-टी० 3 दि० 15.07.1997	1998-99	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 6 दि० 29.05.1998	1999-00	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 3 दि० 14.08.1999	2000-01	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 4
वर्ष	प्रीमियम एवं लीज रेंट की निर्धारित धनराशि	जमा का विवरण																								
1	2	3																								
प्रीमियम	168462.00 (प्रीमियम)	चालान संख्या-टी० 3 दि० 29.11.1996																								
1996-97	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या-टी० 1 दि० 15.05.1997																								
1997-98	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या-टी० 3 दि० 15.07.1997																								
1998-99	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 6 दि० 29.05.1998																								
1999-00	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 3 दि० 14.08.1999																								
2000-01	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 4																								

		दि० 05.05.2000
2001-02	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 5 दि० 24.04.2001
2002-03	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या-टी० 5 दि० 17.04.2003
2003-04	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 5 दि० 17.04.2003
2004-05	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 3 दि० 16.04.2004
2005-06	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 2 दि० 13.04.2005
2006-07	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 12 दि० 30.05.2006
2007-08	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 4 दि० 31.05.2007
2008-09	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 7 दि० 23.04.2008
2009-10	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 5 दि० 28.04.2009
2010-11	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- टी० 6 दि० 17.04.2010
2011-12	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- आर०ओ० 40004 दि० 25.04.2011
2012-13	16847.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- आर०ओ० 40001 दि० 05.07.2012
प्रीमियम	9475000.00 (प्रीमियम)	चालान संख्या- आर० 060001 दि० 27.06.2016
2013-14	16847.00(लीज रेंट) 930653.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- आर०ओ० 40003 दि० 09.04.13 व चालान संख्या- आर० 060001 दि० 27.06.2016
2014-15	16847.00(लीज रेंट) 930653.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- आर०ओ० 40017 दि० 22.04.14 व चालान संख्या- आर० 060001 दि० 27.06.2016
2015-16	16847.00(लीज रेंट) 930653.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- आर०ओ० 40009 दि० 24.04.15 व चालान संख्या- आर० 060001 दि० 27.06.2016
2016-17	16847.00(लीज रेंट) 930653.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- आर०ओ० 40009 दि० 18.04.16 व चालान संख्या- आर० 060001 दि० 27.06.2016
2017-18	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- आर० 040002 दि० 26.04.2017
2018-19	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या-आर० ओ० 40037 दि० 27.04.2018
2019-20	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- ई०

		964270 दि० 16.05.2019
2020-21	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- एच० ए० 00026 दि० 10.08.2021
2021-22	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- एच० ए० 00027 दि० 10.08.2021
2022-23	947500.00(लीज रेंट)	चालान संख्या- डी०आई० 00029 दि० 18.04.2022

2- प्रश्नगत प्रकरण में लीज संबंधी जारी मूल आदेश दिनांक- 25.04.1964 के अनुपालन में सम्पादित पट्टाविलेख दिनांक- 09.06.1970 की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

1066
 संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : श्री विकास माहेश्वरी , प्रमुख (वित्त एवं लेखा), मे० ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

(मनमोहन मिश्र)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र